



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052025-263339
CG-DL-E-23052025-263339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2221]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 2221]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

का.आ. 2275(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5101(अ). तारीख 26.11.2024 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 27.11.2024 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल प्रदेश राज्य में जगदीशपुर- हल्दिया & बोकारो- धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) & स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आपत्तियों को परीक्षण के उपरान्त निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जगदिशपुर-हलदिया एण्ड बोकारो-धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट						
डोभी हलदिया अनुभाग						
भूमि अनुसूची						
राज्य- पश्चिम बंगाल						
जिला	तहसील	गांव	थाना नं	नक्शा	सर्वे नं	क्षेत्रफल हेक्टर आर बर्गमिटर
1	2	3	4	5	6	7
बांकुड़ा	बरजोरा	पाथराजुरी	21	एल आर	80	00 00 69
					81	00 11 79
					82	00 12 23

[फा. सं. एल- 14014-98-2019-जी पी-II (ई-51284)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2025

S.O. 2275(E).— Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 5101p(E) dated 26.11.2024 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 27.11.2024, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur Haldia Bokaro Dhamra Pipeline project in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

JAGDISHPUR-HALDIA AND BOKARO DHAMRA PIPELINE PROJECT						
DOBHI - HALDIA SECTION						
SCHEDULE						
State: West Bengal						
District	Block	Mauza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area Hect Are Sq.mt.
1	2	3	4	5	6	7
BANKURA	BARJORA	PATHARJURI	21	LR	80	00 00 69
					81	00 11 79
					82	00 12 23

[F. No. L-14014-98-2019-GP-II (E-51284)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.